उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 40 / 2023

जागेश्वर साव वगै० बनाम् बिनोद मुण्डा वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
15/03/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी 1. जागेश्वर साव, 2. गोपाल साव, दोनो के पिता–स्व० काशी साव, निवास ग्राम–बरियातु, पो०–बरियातु, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–15 / 2019–20 बिनोद मुण्डा वगै० बनाम जागेश्वर साव एवं अन्य में दिनांक–21.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S– 215 C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–कोनारडीह, थाना–गोला, थाना नं०–45 के खाता नं०–33 प्लॉट सं०–20 .रकवा–1.11 ए० वो प्लॉट सं०–31 रकवा–0.64 ए०,. प्लॉट सं०–32 रकवा–0.67 ए० प्लॉट सं०–33 रकवा–0.01 ए०, प्लॉट सं०–34 मध्ये रकवा–0.15 ए० कुल रकवा– 2.58 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–कोनारडीह, थाना–गोला, थाना नं०–45 के खाता नं०–33 प्लॉट सं०–20 रकवा–1.11 ए० वो प्लॉट सं०–31 रकवा–0.64 ए०, प्लॉट सं०–32 रकवा–0.67 ए० प्लॉट सं०–33 रकवा–0.01 ए०, प्लॉट सं०–34 मध्ये रकवा–0.15 ए० कुल रकवा–2.58 ए० भूमि सर्वे खतियान में पिरथिया वो जुगनु मुण्डा के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान का कहना है कि मौजा–कोनारडीह, थाना–गोला, थाना नं०–45 के खाता नं०–33 के खतियान में पिरथिया मुण्डा वो जुगनु मुण्डा के नाम से दर्ज है। पिरथिया मुण्डा नावल्द फ़ौत कर गये। जिसके कारण सारे जमीन जुगनु मुण्डा के हिस्से में आ गई। जुगनु मुण्डा ने भूतपूर्व जमींदार बाबु कामाख्या नारायण सिंह को निबंधित इस्तिफानामा संख्या–42, दिनांक–22.03.1938 से प्लॉट नं०–20 रकवा–1.11 ए०, प्लॉट नं०–31, रकवा–64 डी०, प्लॉट नं०–32 रकवा–67 डी०, प्लॉट	

नं०–33 रकवा–01 डी० कुल रकवा–2.58 ए० भूमि इस्तिफा कर दिये। भूतपूर्व जमींदार ने हुकुमनामा के द्वारा उचित सलामी लेकर दिनांक–08.12.1941 को बैजनाथ महतो पिता–जगरनाथ महतो को रकवा–2.58 ए० बंदोबस्त कर दखल दे दिये। बंदोबस्तधारी अपने जीवन काल तक भूमि पर दखल में रहे। उनके मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र काशी साव एवं नकुल साव भूमि पर काबिज हुए। नकुल साव नावल्द फौत कर गये। काशी साव के तीन पुत्र हुए जागेश्वर साव, बानेश्वर साव एवं गोपाल साव जो रकवा–2.58 ए० पर काबिज हुए। लेकिन विपक्षी क्रमांक–01 एवं 02 के द्वारा कहा गया है कि उन्हें उक्त भूमि से 05 वर्षो से बेदखल किया गया है, जो गलत है। जबकि अंचल अधिकारी के अनुसार बेदखली की अवधि 70 वर्षो से है, जो नियमतः 12 वर्ष से अधिक है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–15 / 2019–20 में दिनांक–21.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–कोनारडीह, थाना–गोला, थाना नं०–45 के खाता नं०–33 प्लॉट सं०–20 रकवा–1.11 ए० वो प्लॉट सं०–31 रकवा–0.64 ए०, प्लॉट सं०–32 रकवा–0.67 ए० प्लॉट सं०–33 रकवा–0.01 ए०, प्लॉट सं०–34 मध्ये रकवा–0.15 ए० कुल रकवा–2.58 ए० सर्वे खतियान में पिरथिया वो जुगनु मुण्डा के नाम से दर्ज है। पिरथिया मुण्डा नावल्द फौत कर गये। जुगनु मुण्डा के पुत्र रीझु मुण्डा हुए और रीझु मुण्डा के पुत्र बुधन मुण्डा हुए तथा बुधन मुण्डा के पुत्र विपक्षी बिनोद मुण्डा एवं जोगेन्द्र मुण्डा हुए। वर्ष–2014 में अपीलार्थी के द्वारा उक्त विवादित भूमि का फर्जी कागजात तैयार कर बलपूर्वक तैयार कर आदिवासी रैयत को उक्त भूमि से बेदखल किया गया एवं अंचल कार्यालय, गोला के मिलिभगत से बैजनाथ महतो के नाम से दर्ज किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा जो दिनांक–21.04.2023 को पारित आदेश नियमसंगत है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–15 / 2019–20 में दिनांक–21.04.2024 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा जाँच कर प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजातों एवं स्थानीय जाँचो उपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जाँचोपरांत भू–वापसी हेतु प्रतिवेदित भूमि खतियानी आदिवासी खाते की है। प्रथम पक्ष के वंशजों के नाम से जमाबंदी कायम है। द्वितीय पक्ष गैर आदिवासी रैयत से संबंधित है जिसकी जमाबंदी वंशजों के नाम से कायम है। अतः उक्त भूमि भू–वापसी का मामला बनता है। प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसरित।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा हुकुमनामा बंदोबस्त से भूमि प्राप्ति का दावा करते है जबकि विपक्षी को उक्त भूमि खतियान से प्राप्त

है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश नियमसंगत प्रतीत होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से, सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी उक्त भूमि हुकुमनामा बंदोबस्त से प्राप्ति का दावा करते है जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–कोनारडीह थाना–गोला के खाता नं०–33 का कुल रकवा–13.86 ए० भूमि है। अपीलार्थी का कहना है कि 2.58 ए० भूमि खतियानी रैयत के द्वारा भूतपूर्व जमींदार को इस्तिफा दिया गया। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस परिस्थिति में खतियानी रैयत के द्वारा भूतपूर्व जमींदार को सम्पूर्ण खाते प्लॉट का इस्तिफा नहीं देते हुए अंश भाग का इस्तिफा दिया गया? क्योंकि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 के अनुसार किसी भूमि के सम्पूर्ण खाते प्लॉट का इस्तिफा होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि के इस्तिफानामा में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–15/2019–20 बिनोद मुण्डा वगै० बनाम जागेश्वर साव एवं अन्य में दिनांक–21.04.2023 को पारित आदेश को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 15/03/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 15/03/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.05.08 17:13:24 +05:30
Location: 192.168.0.22